सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 1998/00050

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : **नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0**

प्रकरण सं0 53/1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1 हरदेव सिंह पुत्र श्री चेतसिंह जाति जटसिख निवासी 25 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. अजमेर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित : राजकीय अधिवक्ता
श्री तेजा सिंह संधू अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश **दिनांक : 19.11.2020**

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि अजमेर सिंह वल्द श्री अर्जुन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. ने राज को धोखा देकर वा गलत बयानी करके वा गलत शपथ पत्र देकर चक 34 एन.पी. में 25 बीघा व 8 एस.ए.डी. में 25 बीघा कुल 50 बीघा नहरी भूमि अलाट करवा ली है जबकि यह कतई भूमिहीन नहीं था ना है। यह पहले से ही बड़ा जंमीदार है इसके पास पहले से चक शेरगढ मलेरिया तहसील मुक्तसर में 10 एकड जमीन नहरी खातेदारी है। 16 बीघा नहरी भूमि शेरगढीया तहसील संगरिया में है। 25 बीघा भूमि इसकी चक 25 एन.पी. में खातेदारी है। इस तरह से इसके पास 51 बीघा भूमि से भी अधिक भूमि है। 51 बीधा भूमि घरू होते हुए इसने सारी कार्यवाही गल्त तथ्य पेश करके वा गल्त शपथ–पत्र पेश करके झुठी की है। जानबूझकर राज से धोखा किया है और कई सालो से उक्त 50 बीघा भूमि से नाजायज फायदा उठा रखा है। अतः उक्त 50 बीघा भूमि पुख्ता अलाट वाली इसके नाम से खारिज करके कब्जाराज में ली जावें, और इस पर गलत शपथ–पत्र देने की बाबत मुकदमा भी चलाया जावें ताकि इसे इवरत हो।

पत्रावली का संधारण दिनांक 16.12.1991 को उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा किया गया। आदेशिका दिनांक 04.06.1997 से उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर से पत्रावली जिला कलक्टर महोदय को मुन्तिकल की गई। जिला कलक्टर महोदय के आदेश 03.01.1998 की पालना में पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर न्यायालय में हस्तांतरित की गई। दिनांक 03.01. 1998 की आदेशिका में अंकित है कि "कार्य विभाजन के फलस्वरूप प्रकरण प्राप्त हुआ आज यह पत्रावली जिला कलक्टर, महोदय श्रीगंगानगर से प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा पेशी में ली गई।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 03.01.1998 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर से करवाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांकः विविध/क/1/14/91/452 दिनांक 25.03.1991 से अवगत करवाया कि मुताबिक रिपोर्ट आर. आई. ठण्डी के अनुसार मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2025–2028 चक 25 एन. पी. खाता नम्बर 4 में अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख सा. 25 एन.पी. के नाम 19.18 नहरी खातेदारी रकबा था जो जरिये डिग्री 29.12.1972 के उक्त रकबा रधुवीर सिंह 5 बीघा, जगजीत सिंह 5 बीघा, सुखदेव सिंह 5 बीघा , अजायब सिंह.4.18 बीघा पि0 अजमेर सिंह के नाम हुआ है। इसके अलावा इसी जमाबन्दी में रधुनन्द सिंह–जगजीत सिंह–सुखदेव सिंह–अजायब सिंह पिसरान अजमेर के नाम 5 बीघा नहरी रकबा और है।

चक 34 एन.पी. में जमाबन्दी सम्वत् 2044–2047 में 1.720 हैक्टर नहरी व 4.035 हैक्टर बारानी कुल 5.756 हैक्टर रकबा खातेदारी अजमेर सिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. के नाम से दर्ज है। चक 8 एस.ए.डी. में अजमेर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2043–2046 में 21.01 कमाण्ड प्री–55 पुख्ता अलोटी दर्ज है। शेरगढ मलेरिया तहसील मुक्तसर व शेरगढीया तहसील संगरिया के रकबे बाबत शिकायतकर्ता स्वंय से या फिर सम्बन्धित तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावें।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर से करवाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांकः भू.अ./98/3995 दिनांक 23.12.1998 से अवगत करवाया कि :–

1. अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. को चक 8 एस.ए.डी. में मुरब्बा नम्बर 183/344 से 18.19 बीघा कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 180/345 2.02 बीघा कुल 21.01 बीघा कमाण्ड श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन सूरतगढ के मिसल नम्बर 1032 दिनांक 29.05.1992 में भूमिहीनो में एवं मिसल नम्बर 611 दिनांक 30.03.1977 द्वारा स्मालपेंच में आवंटन किया गया है। वर्तमान में यह रकबा खातेदारी है।
2. आवंटी अजमेर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एन.पी. में निवास करता है।
3. उक्त रकबा पर आवंटी अजमेर सिंह स्वयं का बतौर खातेदार कब्जा काश्त है।
4. उक्त रकबा के अलावा 21.01 बीघा के अलावा मुरब्बा नम्बर 71 में 4 बीघा अजमेर सिंह के नाम से स्मालपेच में आवंटित है। चक नम्बर 25 एन.पी. में मुरब्बा नम्बर 21 में 5.756 हैक्टर खातेदारी रकबा अजमेर सिंह ने राणा सिंह वल्द तोता सिंह कौम जटसिख साकि 56 एन.पी. को बेचान कर दिया है। वर्तमान में यह 5.756 हैक्टर रकबा केता राणा सिह के नाम से है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार, अप्रार्थी को भूमि आवंटन करने से पूर्व नियमानुसार पात्रता की जॉच सुनिश्चित की गई है।

प्रकरण में आंवटन से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा दिनांक 10.04.2001 से लेकर दिनांक 19.09.2017 तक पत्राचार किया गया लेकिन मूल रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया हैं कि तहसीलदार रायसिहनगर की रिपोर्ट अनुसार अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. को चक 8 एस.ए.डी. में मुरब्बा नम्बर 183/344 से 18.19 बीघा कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 180/345, 2.02 बीघा कुल 21.01 बीघा कमाण्ड श्रीमान सहायक आयुक्त उपनिवेशन सूरतगढ के मिसल नम्बर 1032 दिनांक 29.05.1992 में भूमिहीनो में एवं मिसल नम्बर 611 दिनांक 30.03.1977 द्वारा स्मालपेंच में आवंटन किया गया है। वर्तमान में यह रकबा खातेदारी है। उक्त रकबा के अलावा 21.01 बीघा के अलावा मुरब्बा नम्बर 71 में 4 बीघा अजमेर सिंह के नाम से स्मालपेच में आवंटित है। चक नम्बर 25 एन.पी. में मुरब्बा नम्बर 21 में 5.756 हैक्टर खातेदारी रकबा अजमेर सिंह ने राणा सिंह वल्द तोता सिंह कौम जटसिख साकि 56 एन.पी. को बेचान कर दिया है। वर्तमान में यह 5.756 हैक्टर रकबा केता राणा सिह के नाम से है। अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. को चक 8 एस.ए.डी. में मुरब्बा नम्बर 183/344 से 18.19 बीघा कमाण्ड उपनिवेशन सूरतगढ के मिसल नम्बर 1032 दिनांक 29.05.1992 में भूमिहीनो में अलाट करवाई है जबकि उसके पास पूर्व में भी भूमि थी। अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. भूमिहीन काश्तकार नहीं था। अतः भूमिहीन काश्तकार बनकर चक 8 एस.ए.डी. में मुरब्बा नम्बर 183/344 से 18.19 बीघा कमाण्ड उपनिवेशन सूरतगढ के मिसल नम्बर 1032 दिनांक 29.05.1992 में भूमिहीनो में अलाट करवाई गई भूमि को बहसक सरकार कब्जा में लिया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता हरदेव सिंह एवं अजमेर सिंह दोनो भाई है। जिनका आपस में समझौता हो गया है। वर्तमान में अप्रार्थी मेरे पास नहीं आ रहा है। अतः आप पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रकरण का निस्तारण कर देवें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. को चक 8 एस.ए.डी. में मुरब्बा नम्बर 183/344 से 18.19 बीघा कमाण्ड उपनिवेशन सूरतगढ के मिसल नम्बर 1032 दिनांक 29.05.1992 में भूमिहीनो में अलाट करवाई है। जबकि तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांकः विविध/क/1/14/91/452 दिनांक 25.03.1991 एवंम तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांकः भू.अ./98/3995 दिनांक 23.12.1998 अनुसार अलाटी अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. के पास जमाबन्दी सम्वत् 2025–2028 चक 25 एन.पी. खाता नम्बर 4 में अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख सा. 25 एन.पी. के नाम 19.18 नहरी खातेदारी रकबा था जो जरिये डिग्री 29.12.1972 के उक्त रकबा रधुवीर सिंह 5 बीघा, जगजीत सिंह 5 बीघा, सुखदेव सिंह 5 बीघा , अजायब सिंह 4.18. बीघा पि0 अजमेर सिंह के नाम हुआ है। इसके अलावा इसी जमाबन्दी में रधुनन्द सिंह–जगजीत सिंह–सुखदेव सिंह–अजायब सिंह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिसरान अजमेर के नाम 5 बीघा नहरी रकबा एवंम चक 34 एन.पी. में जमाबन्दी सम्वत् 2044–2047 में 1.720 हैक्टर नहरी व 4.035 हैक्टर बारानी कुल 5.756 हैक्टर रकबा खातेदारी था। इससे प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. के नाम से चक 8 एस.ए.डी. में मुरब्बा नम्बर 183/344 से 18.19 बीघा कमाण्ड उपनिवेशन सूरतगढ के मिसल नम्बर 1032 दिनांक 29.05.1992 में भूमिहीनो में अलाट करवाई उस वक्त उसके नाम से भूमि थी।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 11/14 में प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी अजमेर सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन 25 एन.पी. को चक 8 एस.ए.डी. में मुरब्बा नम्बर 183/344 से 18.19 बीघा कमाण्ड उपनिवेशन सूरतगढ के मिसल नम्बर 1032 दिनांक 29.05.1992 में भूमिहीनो में अलाट करवाई को बहक सरकार रिज्यूम की जाती है। तहसीलदार, रायसिहनगर को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं चक 8 एस.ए.डी. में मुरब्बा नम्बर 183/344 से 18.19 बीघा कमाण्ड भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें एवं भूमि की काश्त व्यवस्था नियमानुसार करवाई जावे तथा राजस्व अभिलेखों में उसे आराजी राज दर्ज किया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्री गंगानगर।